बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/आ0–1–08/2015/स्वा0/पटना,.......... दिनांक / डा0 प्रवेश पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीनारा, रोहतास सम्प्रति निलंबित को दिनांक 12.02.15 को 20,000/–(बीस हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0 016/2015 दिनांक 12.02.15 दर्ज किए जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 12.02.15 के प्रभाव से अधिसूचना सं0 503(9) दिनांक 16.06.15 द्वारा निलंबित किया गया था।

माननीय निगरानी न्यायालय, पटना द्वारा विशेष केश सं0– 16/2015 में पारित आदेश दिनांक 23.04.15 के आलोक में जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांक 29.04.15 को डा0 पासवान द्वारा सिविल सर्जन, रोहतास के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (3) (ii) के तहत डा0 प्रवेश पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास का योगदान उनके योगदान की तिथि (दिनांक 29.04.15) के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकार किया गया है।

यह देखते हुए कि डा0 प्रवेश पासवान को रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के लिए निलंबित किया गया था। उन्होनें अपने विधिसम्मत कार्यो/दायित्वों के निर्वहन के लिए रिश्वत की मांग की एवं रिश्वत की राशि स्वीकार किया।

उनके उपर्युक्त आचरण के लिए उन्हें पुनः तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 पासवान का मुख्यालय **क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल पटना** का कार्यालय होगा।

3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत डा0 पासवान को जीवन निर्वाह भत्ता (निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय उपनिदेशक का कार्यालय पटना प्रमंडल पटना) देय होगा। बशर्त्ते कि वे निलंबन अवधि में अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे।

4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(हस्ताक्षर)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 708 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11/8/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप-- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव निगरानी विभाग, सूचना भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 प्रवेश पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास संप्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ के निजी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10.8.15
सरकार के अवर सचिव,
8

Sweta/Health/Notification- 14-05-12